न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, शाहजहांपुर।
श्रीमती जहूरन बनाम गुड्डू आदि।

परिवाद वाद संख्या–213 / 2022
थाना–कॉट।
जिला–शाहजहांपुर।

दि0: 02.12.2022

पत्रावली प्रस्तुत। बार–बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 नियत है। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। पूर्व तिथि पर परिवादी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। परिवादी आज भी अनुपस्थित है एवं न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समय 2.30 बजे दोपहर। परिवादी द्वारा न ही स्वयं को अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया एवं न ही अन्य किसी साक्षी को अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया है। ऐसे में अभियुक्त को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या 213 / 2022 जहूरन बनाम गुड्डू आदि अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय,
शाहजहॉपुर।